

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
Directorate of Construction, Services & Estate Management  
सामान्य अनुभाग General Section

विक्रम साराभाई भवन Vikram Sarabhai Bhavan  
अणुशक्तिनगर Anushaktinagar  
मुंबई Mumbai - 400 094

संदर्भ संख्या Ref. निसेसंप्रनि DCSEM/सामन्यGen/BSUP/2025/16

January 10, 2025

**परिपत्र / CIRCULAR**

महाराष्ट्र सरकार, पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना संख्या: प्लास्टिक-2018/सी.आर.नं. 24/टीसी-4 दिनांक 23.03.2018 जारी की थी, जिसमें पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्लास्टिक और थर्मोकॉल (पॉलीस्टाइरीन) से निर्मित डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे एकल उपयोग डिस्पोजेबल डिश, कप, प्लेट, गिलास, कांटा, कटोरा, कंटेनर, भोजन पैक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिस्पोजेबल डिश/कटोरा, चम्मच, स्ट्रॉ, गैर-बुने हुए पॉलीप्रोपाइलीन बैग, तरल पदार्थ स्टोर करने के लिए कप/पाउच, उत्पादों को लपेटने या स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के साथ पैकेजिंग, खाद्य पदार्थों और खाद्यान्न सामग्री की पैकेजिंग आदि के उपयोग पर प्रतिबंध और कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ये विनियमन महाराष्ट्र राज्य के प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्तियों के निकाय, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल परिसर, क्लबों, सिनेमा हॉल, विवाह / समारोह हॉल, औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक संस्थानों, कार्यालयों, तीर्थयात्रा आयोजकों, तीर्थयात्रा और धार्मिक स्थानों, होटलों, ढाबों, दुकानदारों, मॉल, विक्रेताओं या विक्रेताओं, व्यापारियों, निर्माताओं, कैटर, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, स्टॉकिस्ट, व्यापारियों, फेरीवालों, सेल्समैन, ट्रांसपोर्टर, बाजार, उत्पादकों, स्टालों, पर्यटन स्थलों, वन और आरक्षित वन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, सभी समुद्र तटों, सभी सार्वजनिक स्थानों, बस्ट स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर लागू होते हैं।

Government of Maharashtra, Department of Environment had issued Notification No : Plastic-2018/C.R.No. 24/TC-4 dated 23.03.2018 imposing ban as well as certain restrictions on the use of disposable products manufactured from plastic and thermocol (polystyrene) such as single use disposable dish, cups, plates, glasses, fork, bowl, container, disposable dis/bowl used for packing food, spoon, straw, non-woven polypropylene bags, cups/pouches to store liquid, packaging with plastic to wrap or store the products, packaging of food items and food grain material etc. in the whole state of Maharashtra. These regulation are applicable to every person, body of persons, government and non-government organisations, educational institutions, sport complex, clubs, cinema halls, marriage / celebration halls, industrial units, commercial institutions, offices, pilgrimage organisers, pilgrimage and religious places, hotels, dhabas, shopkeepers, malls, vendors or sellers, traders, manufacturers, caterer, wholesalers, retailers, stockiest, businessmen, hawkers, salesmen, transporter, market, producers, stalls, tourist places, forest and reserve forest, eco-sensitive areas, all sea beaches, all public places, bust stand, railway stations in the State of Maharashtra.

तदनुसार, इस निदेशालय ने अणुशक्तिनगर में सभी हितधारकों को महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए परिपत्र संख्या डीसीएसईएम/ईएनएफटी/प्लास्टिक प्रतिबंध/2018/255 दिनांक 06.04.2018 और डीसीएसईएम/ईएनएफटी/प्लास्टिक प्रतिबंध/2018/382 दिनांक 25.06.2018 जारी किया था।

Accordingly, this Directorate had issued Circular No. DCSEM/ENFT/Plastic ban/2018/255 dated 06.04.2018 and DCSEM/ENFT/Plastic ban/2018/382 dated 25.06.2018 for strict compliance of the instructions of Government of Maharashtra to all stake holders in Anushaktinagar.

इसके बाद, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया, जिसके तहत दिनांक 1 जुलाई 2022 से सीमित उपयोगिता और उच्च कचरा फैलाने की क्षमता वाली चिन्हित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Later, Ministry of Environment, Forest and Climate Change has notified the Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021, on 12th August 2021, prohibiting identified single use plastic items, which have low utility and high littering potential, with effect from 1<sup>st</sup> July 2022.

भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के निर्देशों के अनुपालन में विक्रम साराभाई भवन में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।

In compliance with directives of Government of India and Government of Maharashtra on ban on use of single use plastic, it has been decided to ban on use of single use plastic in Vikram Sarabhai Bhavan with immediate effect.

सभी से सहयोग करने का अनुरोध है / All are requested to co-operate.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of Competent Authority in DCSEM.



(एस. एस. गोंडाने S. S. Gondane)

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी CAO

### वितरण Distribution :

- 1) निसेसंप्रति के सभी अधिकारियों को अनुपालन के लिए ईमेल एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से All Officials of DCSEM through email & notice boards for compliance
- 2) न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारी पानी बोर्ड, क्रय एवं भंडार निदेशालय, नाभिकीय पुनश्चक्रण बोर्ड, विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के एवं प्रशासनिक प्रमुख : अनुरोध है कि वे अनुपालन के लिए ईमेल और नोटिस बोर्ड के माध्यम से संबंधित इकाइयों के अधिकारियों के बीच इसका व्यापक प्रचार करें / Administrative Heads of NPCIL, HWB, DPS, NRB, BRIT and IGCAR : With a request to give it a wide publicity among officials of respective units through email and notice boards for compliance.
- 3) उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी (संचालन), अणुशक्तिनगर सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु / Dy. Chief Security Officer (Operations), Anushaktinagar Security for ensuring compliance of with immediate effect